(562)

मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण देहरादून

टिप्पणी एवं आदेश

उपाध्यक्ष/मण्डलायुक्त/अध्यक्ष महोदय

मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण बोर्ड की बैठक दिनांक 09-4-96 का कार्यवृत्त सम्मुख आपके अनुमोदनार्थ/हस्ताक्षरार्थ प्रस्तुत है।

एस0के0निगम
सचिव,
म0दे0वि0प्रा0

19/4/96
हरिश्चन्द्र जोशी
उपाध्यक्ष,
म0दे0 वि0प्रा0

24/4

26/4/96

24/4/96

मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून की बैठक दिनांक 09-4-96 में अधिकारियों की उपस्थिति :

1-श्री सुभाष कुमार,मण्डलायुक्त/अध्यक्ष	अध्यक्ष
2-श्री हरिश्चन्द्र जोशी,उपाध्यक्ष,म0दे0वि0प्रा0	उपाध्यक्ष
3-श्री वी0वी0सिंह विश्वेन,जिलाधिकारी,देहरादून	सदस्य
4-डा0 एच0एस0यदुबंशी,संयुक्त निदेशक, उ0प्र0,लखनऊ	सदस्य
5-श्री एम0पी0अनेजा,वरिष्ठ नियोजक, नगर एवं ग्राम्य नियोजक विभाग,उ0प्र0 लखनऊ	सदस्य
6-श्री एस0सी0चन्दोला,महाप्रबन्धक,जि0उ0के0,देहरादून	सदस्य
7-श्री वी0सिंह,अधीक्षण अभियंता,जल निगम,देहरादून	सदस्य
8-श्री ए0के0द्विवेदी,सहायक निदेशक,पर्यटन, पर्यटन निदेशालय,पर्वतीय क्षेत्र,देहरादून	प्रतिनिधि सदस्य
9-श्री ए0के0जैन,अधिशासी अभियंता,उ0प्र0 आवास-विकास परिषद, देहरादून	प्रतिनिधि सदस्य

विशेष आमंत्री :

1-श्री पी0के0वर्मा,प्रभागीय वनाधिकारी, मसूरी

2-श्री मानवेन्द्र सिंह,परगनाधिकारी,मसूरी

3-श्री बृज बी0रतन,सहयुक्त नियोजक,नगर एवं ग्राम्य नियोजन विभाग, गढवाल सम्भागीय नियोजन खण्ड,देहरादून

अन्य उपस्थिति :

1-श्री श्रवण कुमार निगम,सचिव,म0दे0वि0प्रा0

2-श्री विजय कुमार ढौंडियाल,संयुक्त सचिव,म0दे0वि0प्रा0

3-श्री ओम प्रकाश,अधिशासी अभियंता,म0दे0वि0प्रा0

गत बैठक की कार्यवाही :

सर्व-प्रथम बैठक में उपस्थित सभी अधिकारियों का स्वागत करते हुए उपाध्यक्ष,मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा अध्यक्ष महोदय की अनुमति से सचिव,मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण को गत बैठक दिनांक 29-11-95 की अनुपालन आख्या पढने के निर्देश दिए गए। तदनुसार सचिव,म0दे0वि0प्रा0 द्वारा गत बैठक की अनुपालन आख्यां पढी गयी और निम्न निर्णय के साथ उक्त अनुपालन आख्या की पुष्टि की गयी :-

गत बैठक दिनांक 29-11-95 के विषय क्रमांक-1 जो ट्रान्सपोर्ट नगर हेतु प्रस्तावित वैकल्पिक भूमि का भूउपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में था, पर वरिष्ठ नगर नियोजक, उ0प्र0 श्री अनेजा द्वारा सुझाव दिया गया कि प्राधिकरण द्वारा पूर्व में ग्राम माजरा/सेवलाकलां में ट्रान्सपोर्ट नगर हेतु पूर्व प्रस्तावित साईड पर ही ट्रान्सपोर्ट नगर स्थापित किया जाना उपयुक्त होगा। प्रश्नगत स्थल का भूउपयोग भी देहरादून महायोजना में ट्रान्सपोर्ट नगर हेतु आरक्षित है। प्राधिकरण द्वारा उक्त स्थल की भूमि के अधिग्रहण हेतु पूर्व में कार्यवाही भी की जा चुकी है। नवीन स्थल पर अब ट्रान्सपोर्ट नगर हेतु भूमि का भूउपयोग परिवर्तन कराने एवं अन्य कार्यवाही कराने में जहां काफी लम्बा समय लगेगा वहीं दूसरी ओर प्राधिकरण को ट्रान्सपोर्ट नगर निर्माण हेतु नए सिरे से कार्यवाही करनी पडेगी। उक्त सुझाव पर विचार-विमर्श कर सर्व-सम्मत्ति से निर्णय लिया गया कि पूर्व अधिग्रहित भूमि व नयी प्रस्तावित भूमि में से उपयुक्तता का निम्न समिति व्यापक परीक्षण कर पुनः अपनी रिपोर्ट प्राधिकरण की आगामी बैठक में विचारार्थ/निर्णय हेतु प्रस्तुत करें:-

--3---

1-सचिव,म0दे0वि0प्रा0

2-सहयुक्त नियोजक,नगर एवं ग्राम्य नियोजन विभाग,देहरादून

3-विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, देहरादून

4-परगनाधिकारी, देहरादून

विषय क्रमांक : 01

कृषि हरित क्षेत्र में स्कूल स्थापना के लिए न्यूनतम आवश्यक मार्ग दर्शिका के अनुमोदन के सम्बन्ध में ।

प्राधिकरण की गत बैठक दिनांक 29-11-95 के विषय क्रमांक-4 जो महायोजना में कृषि भूउपयोग के अन्तर्गत शैक्षिक संस्थाओं की स्थापना हेतु एक समान नीति अपनाये जाने हेतु मार्ग दर्शिका प्रारूप तैयार करने विषयक पर लिए निर्णय के क्रम में सहयुक्त नियोजक,नगर एवं ग्राम्य नियोजन विभाग, देहरादून द्वारा इस हेतु तैयार की गयी मार्ग दर्शिका प्रस्तुत की जिस पर बैठक में विचार विमर्श के दौरान श्री एम0पी0अनेजा,वरिष्ठ नगर नियोजक, उ0प्र0 द्वारा सुझाव दिया गया कि इस मार्ग दर्शिका में वर्णित मापदण्ड अत्यधिक लचीले हैं। इस मार्ग दर्शिका को अपनाये जाने से जहां एक ओर कृषि हरित क्षेत्र में इस प्रकार की संस्थाओं के निर्माण में बढोत्तरी हेतु प्रोत्साहन मिलेगा वहीं दूसरी ओर इससे महायोजना का स्वरूप भी प्रभावित होगा। अतः इस मार्गदर्शिका के बिन्दु संख्या-4 एवं-6 पर वर्णित बिन्दुओं पर पुनः व्यापक परीक्षण कराया जाना उचित होगा। वरिष्ठ नगर नियोजक द्वारा यह भी सुझाव दिया गया कि कृषि क्षेत्र में स्कूल भवन की अनुमति दिये जाने से पूर्व उस पर प्राधिकरण बोर्ड द्वारा विचार किया जाना उचित होगा ताकि बोर्ड द्वारा ऐसे प्रकरणों पर गुण-दोष के आधार पर अनुमति दिये जाने के सम्बन्ध में निर्णय दिया जा सके।

प्रस्ताव पर विस्तृत विचार-विमर्श के उपरान्त सर्व-सम्मत्ति से निर्णय लिया गया कि कृषि क्षेत्र में शैक्षिक संस्थाओं की स्थापना हेतु इसका पुनः व्यापक

परीक्षण किया जाना उचित होगा। सर्व-सम्मत्ति से निर्णय लेते हुए सहयुक्त नियोजक,नगर एवं ग्राम्य नियोजन विभाग, देहरादून को निर्देश दिए गए कि वे पुनः उक्त मार्ग दर्शिका का व्यापक परीक्षण उक्त वर्णित बिन्दुओं के परिप्रेक्ष्य में कराते हुए एक ठोस प्रस्ताव प्राधिकरण की आगामी बैठक में प्रस्तुत करें ताकि तदनुसार इस सम्बन्ध में विचार-विमर्श कर अंतिम निर्णय लिया जा सके।

उक्त प्रस्ताव पर ही चर्चा के दौरान अध्यक्ष महोदय ने जानकारी चाही कि वर्तमान समय में प्राधिकरण के पास कृषि हरित क्षेत्र में स्कूल स्थापना के कितने प्रकरण विचाराधीन है तथा उन पर प्राधिकरण द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है। इस सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि इस प्रकार के कुल दो प्रकरण वर्तमान में प्राधिकरण की गत बैठक दिनांक 29-।।-95 की कार्यवाही के अनुसार लम्बमान थे जिनमें से एक प्रकरण प्राधिकरण की गत बैठक में लिए गए निर्णय के अनुरूप निस्तारित किया जा चुका है तथा एक प्रकरण में आवेदक से कतिपय आपत्तियों के सम्बन्ध में सूचनाएं चाही गयी थी जिनके प्राप्त हो जाने के उपरान्त इस पर शीघ्र ही अंतिम निर्णय ले लिया जायेगा।

विषय क्रमांक :02

मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण क्षेत्र में सुधार शुल्क (वेटरमेण्ट चार्ज) के निर्धारण के सम्बन्ध में ।

प्राधिकरण विकास क्षेत्र के अर्न्तगत मानचित्र शुल्क आदि के समय आवेदकों से लिए जाने वाले सुधार शुल्क सम्बन्धी उक्त प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान श्री एम0पी0अनेजा,वरिष्ठ नगर नियोजक,उ0प्र0 द्वारा सुझाव दिया गया कि उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम ।973 की धारा-।5 के अर्न्तगत इस प्रकार के शुल्क को परमिट शुल्क के रूप में लिए जाने का प्राविधान है। उन्होंनें यह भी अवगत

कराया कि अभी हाल ही में इलाहाबाद विकास प्राधिकरण एवं मुरादाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा मानचित्र स्वीकृति के समय आवेदकों से परमिट शुल्क लिए जाने सम्बन्धी प्रस्तावों को प्राधिकरण बोर्ड से पारित कराते हुए उन्हें लागू किए जाने की कार्यवाही की गयी है। अतः इस सम्बन्ध में विभिन्न विवादों से बचने के उद्धेश्य से इस प्राधिकरण में भी सुधार शुल्क (वेटरमेण्ट चार्ज) के स्थान पर परमिट शुल्क लिया जाना श्रेष्यस्कर होगा।

प्रस्ताव पर व्यापक विचार-विमर्श के उपरान्त सर्व-सम्मत्ति से यद्यपि प्रस्ताव सैद्धान्तिक रूप से अनुमोदित किया गया तथापि निर्देश दिए गए कि परमिट शुल्क लिए जाने सम्बन्धी उक्त दोनों विकास प्राधिकरणों से प्रस्ताव प्राप्त कर तदनुरूप उन पर उक्त प्रस्ताव पुनः तैयार कर उस पर अध्यक्ष का अनुमोदन प्राप्त करते हुए परमिट शुल्क लिए जाने हेतु अग्रेत्तर कार्यवाही करने के लिए सर्व-सम्मत्ति से उपाध्यक्ष,म0दे0वि0प्रा0 को अधिकृत किया गया।

विषय क्रमांक :03

मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के अर्न्तगत भाग-म (डी0ए0-।)/ मसूरी महायोजना क्षेत्र की निर्माण उपविधियों के अनुमोदन के सम्बन्ध में ।

उक्त विषय पर चर्चा के दौरान सहयुक्त नियोजक,नगर एवं ग्राम्य नियोजन विभाग, देहरादून द्वारा अवगत कराया गया कि मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के अर्न्तगत मसूरी क्षेत्र में घोषित निजी वन इस्टेट के कारण इन क्षेत्रों में

मानचित्र की स्वीकृति के सम्बन्ध में कतिपय समस्याओं पर श्री देशराज सिंह,तत्कालीन सदस्य,राजस्व परिषद द्वारा दिनांक 26-6-95 से दिनांक 29-6-96 तक विभिन्न स्तरों पर हुई बैठकों में लिए गए निर्णयों का समावेश भी किया गया है- यथा नगरपालिका मसूरी के उप नियमों एवं प्राधिकरण द्वारा प्रस्तावित उप नियमों का संयुक्त रूप से परीक्षण कर समावेश किया गया है।

उक्त विषय पर चर्चा के दौरान वरिष्ठ नगर नियोजक का सुझाव था कि नैनीताल विकास प्राधिकरण की भांति मसूरी में भी मानचित्रों की स्वीकृति से पूर्व जियोलौजी एवं माईनिंग विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र लिया जाये।

जिलाधिकारी, देहरादून द्वारा भी सुझाव दिया गया कि मसूरी महायोजना क्षेत्र की प्रस्तावित इन उपविधियों में फ्रीज जौन का प्राविधान भी किया जाये। इस पर सहयुक्त नियोजक द्वारा अवगत कराया गया कि इन प्रस्तावित उप विधियां में उपरोक्त सुझावों का समावेश पहले से ही किया जा चुका है।

विस्तृत विचार-विमर्श के उपरान्त मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के अर्न्तगत भाग-म (डी0ए0-1) मसूरी महायोजना क्षेत्र की निर्माण उपविधियों के अनुमोदन सम्बन्धी संशोधित उपविधि प्रस्तावों का सर्व-सम्मत्ति से अनुमोदित किया गया। निर्देश दिए गए कि इन उपविधियों को शासन के अनुमोदनार्थ प्रेषित किया जाये।

विषय क्रमांक : 04

मसूरी में जन सुविधाओं हेतु दो कार पार्किंग एवं शिविर कार्यालय के निर्माण के सम्बन्ध में ।

मसूरी में जन सुविधाओं हेतु दो कार पार्किंग के निर्माण किए जाने सम्बन्धी उक्त दोनों प्रस्तावों पर चर्चा करने से पूर्व अध्यक्ष महोदय की जिज्ञासा के क्रम

में उन्हें सम्बन्धित कार पार्किंग स्थलों के मानचित्र आदि अवलोकित कराए गए। सभी सदस्यों द्वारा मसूरी की ट्रैफिक समस्या के निदान एवं नियोजित पार्किंग की व्यवस्था किए जाने पर बल दिया गया। चर्चा के दौरान सहयुक्त नियोजक, नगर एवं ग्राम्य नियोजन विभाग द्वारा सुझाव दिया गया कि कैम्पटी रोड पर फायर स्टेशन के समीप प्रस्तावित उक्त कार पार्किंग व्यवहारिक रूप से लाभप्रद नहीं होगी। उन्होंने यह भी अवगत कराया कि मसूरी की प्रस्तावित महायोजना में उक्त स्थल का भूउपयोग हरित होने के साथ-साथ यहां पर अखलाड पेय जल योजना का वाटर सैड भी विद्यमान है तथा स्थल एक प्राईवेट फौरेस्ट इस्टेट का भाग है। विस्तृत विचार-विमर्श कर सर्व-सम्मत्ति से प्रस्ताव को उपयुक्त न पाये जाने के कारण स्थगित किया गया।

साथ ही मैसानिक लौज बस स्टैण्ड के पास प्रस्तावित कार पार्किंग के उक्त प्रस्ताव को मसूरी की ट्रैफिक समस्या के दृष्टिगत तथा मसूरी में नियोजित पार्किंग स्थल की नितान्त आवश्यकता को मध्येनजर रखते हुए तथा प्रस्ताव के विभिन्न पहलुओं पर विचार कर सर्व-सम्मत्ति से अनुमोदन किया गया। यह भी निर्देश दिए गए कि अग्रेत्तर कार्यवाही से पूर्व प्रस्तावित कार पार्किंग के स्थल का निरीक्षण परगनाधिकारी मसूरी,सहयुक्त नियोजक एवं सहायक अभियंता,विकास प्राधिकरण,मसूरी क्षेत्र कर लें।

विषय क्रमांक :05

मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के मसूरी क्षेत्र में मानचित्रों की स्वीकृति में आ रही व्यावहारिक कठिनाईयों के निराकरण के लिए मार्गदर्शिका सिद्धान्त निर्धारित किए जाने के सम्बन्ध में ।

उक्त प्रस्ताव में मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के मसूरी क्षेत्र में श्री देशराज सिंह कमेटी के निर्देशों के क्रियान्वयन में आ रही व्यावहारिक कठिनाईयों

9.4.96.

के बारे में विस्तार से अवगत कराया गया । यह तथ्य भी रखा गया कि अभी तक इन निर्देशों पर श्री देशराज सिंह,तत्कालीन सदस्य,राजस्व परिषद, उ0प्र0 का अनुमोदन न होने के कारण यह निर्देश औपचारिक रूप से प्रमाणित भी नहीं हो सके हैं। बोर्ड को मसूरी में भवन मानचित्रों की स्वीकृति न होने के कारण जनाक्रोश की भावना से भी अवगत कराया गया। प्रस्ताव पर विस्तृत चर्चा हुई तथा विचारोपरान्त प्राधिकरण प्रस्तावनानुसार स्पष्ट मार्ग दर्शन/अनुमोदन प्राप्त करने के उद्धेश्य से इसे शासन को संदर्भित करने का निर्णय लिया गया।

विषय क्रमांक :06

रिवर बैंक कालोनी के निर्माण हेतु क्रय भूमि को बल्क सेल के रूप में विक्रय किए जाने के सम्बन्ध में ।

रिवर बैंक कालोनी के निर्माण हेतु क्रय भूमि को बल्क सेल में विक्रय करने हेतु प्रस्तुत उक्त प्रस्ताव पर यद्यपि सैद्धान्तिक सहमति हुई तथापि चर्चा के दौरान अवगत कराया गया कि प्राधिकरण की गत बैठकों में उक्त भूमि का भूउपयोग परिवर्तित किए जाने का निर्णय लिया गया था। बोर्ड के उक्त निर्णय के अनुरूप ही भूउपयोग परिवर्तन सम्बन्धी प्रस्ताव शासन में अभी विचाराधीन है।

जिलाधिकारी, देहरादून द्वारा सुझाव दिया गया कि उक्त भूमि बस स्टैण्ड के निर्माण हेतु उपयुक्त हो सकती है अतः इसको इस प्रयोजन हेतु निजी संस्थाओं को विक्रय पर विचार किया जा सकता है।

विचार -विमर्श के उपरान्त निर्णय हुआ कि भूउपयोग परिवर्तन की कार्यवाही शासन स्तर से शीघ्र निर्णीत कराने का प्रयास किया जाये तथा अनुमन्य भूउपयोग के अनुसार इस भूमि के बल्क सेल हेतु निजी संस्थाओं/व्यक्तियों से टेण्डर आमंत्रित कर निस्तारण हेतु उपाध्यक्ष को सर्व-सम्मत्ति से प्राधिकृत किया गया।

विषय क्रमांक :07

प्राधिकरण में कार्यरत समूह ग एवं समूह घ के दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के दैनिक वेतन में बढोत्तरी के सम्बन्ध में ।

मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण में कार्यरत समूह ग एवं घ के दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के दैनिक वेतन में 10/- प्रतिदिन बढोत्तरी किए जाने के सम्बन्ध में प्रस्तुत उक्त प्रस्ताव पर बैठक में विस्तृत रूप से विचार-विमर्श हुआ। चर्चा के दौरान यह भी अवगत कराया गया कि वर्तमान समय में प्राधिकरण में कार्यरत समूह ग एवं समूह घ के दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को क्रमशः 45/- एवं 40/- प्रतिदिन दिया जा रहा है। उक्त कर्मचारियों द्वारा विगत दिनों लगभग 2 माह तक उपरोक्त वेतन बृद्धि की मांग को लेकर कार्य बहिष्कार भी किया था। प्रस्ताव पर विस्तृत रूप से चर्चा हुई तथा बैठक को यह भी अवगत कराया गया कि उ0प्र0 शासन द्वारा पर्वतीय क्षेत्र की विषम परिस्थितियों एवं महंगाई को देखते हुए पर्वतीय क्षेत्र में नियमित कार्यरत कर्मचारियों को पूर्व से ही पर्वतीय भत्ता आदि की सुविधा दिये जाने का प्राविधान किया गया है परन्तु पर्वतीय क्षेत्र के अर्न्तगत ही दैनिक वेतन में कार्यरत कर्मियों के लिए इस प्रकार की कोई सुविधा शासनादेशों के अर्न्तगत नहीं है। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण पर्वतीय क्षेत्र में स्थित होने के कारण,यहां की विशेष कठिनाईयों व मंहगाई को देखते हुए उपरोक्त दैनिक वेतन भोगी कर्मियों की मांग पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए सर्व-सम्मत्ति से उक्त कर्मियों के दैनिक वेतन में 5/- प्रतिदिन की बढोत्तरी किए जाने का निर्णय लिया गया।

विषय क्रमांक :08

मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण का वर्ष 1995-96 का संशोधित बजट एवं वर्ष 1996-97 का प्रस्तावित बजट अनुमोदनार्थ प्रस्तुत ।

मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण का वर्ष 1995-96 का संशोधित बजट एवं वर्ष 1996-97 हेतु प्रस्तावित बजट विस्तृत विचार-विमर्श के उपरान्त निम्नांकित निर्देशों के साथ (आय 1339.94 रूपये एवं व्यय 1230.41 लाख रूपये) अनुमोदित किया गया।

बजट प्रस्ताव पर चर्चा करने से पूर्व उपाध्यक्ष,मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा बैठक को अवगत कराया गया कि गत बैठक दिनांक 29-11-95 के विषय क्रमांक-5 (बजट परिव्यय कमी हेतु संशोधित बजट) पर दिए गए निर्देशों के अनुपालन में प्राधिकरण की अनिस्तारित पडी सम्पत्तियों के निस्तारण हेतु सम्बन्धित अधिकारियों को लक्ष्य आवंटित कर दिये गये हैं तथा एक निश्चित अन्तराल पर उक्त अधिकारियों को आवंटित लक्ष्यों की पूर्ति हेतु किए गए प्रयासों की समीक्षा किया जाना प्रस्तावित कर दिया गया है।

2-शमन शुल्क एवं विकास शुल्क की प्रभावी वसूली हेतु वादों के निस्तारण हेतु देहरादून विकास क्षेत्र को 8 सेक्टरों में विभाजित कर दिया गया है तथा दिनांक 17-4-96 से उक्त समस्त सेक्टरों में सेक्टर वार तिथि निर्धारित कर व्यापक प्रचार-प्रसार भी किया जा रहा है तथा इस हेतु समाचार पत्रों में प्रकाशन कर शमन कैम्प लगाया जाना प्रस्तावित किया गया है जिससे मौके पर ही शमन योग्य मामलों का निस्तारण हो सके । इससे एक ओर जहां वादों की संख्या में कमी आयेगी वहीं दूसरी ओर प्राधिकरण को शमन शुल्क के रूप में पर्याप्त धनराशि भी प्राप्त होने की आशा है।

उक्त प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान अध्यक्ष द्वारा निर्देश दिए गए कि राजस्व की प्रभावी वसूली हेतु उपाध्यक्ष,मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण राजस्व वसूली से सम्बन्धित अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा की जा रही वसूली कार्यवाही की समीक्षा हेतु नियमित रूप से बैठक करें तथा उक्त बैठक की समीक्षा हेतु सम्बन्धित

अधिकारियों/कर्मचारियों से सूचना उपलब्ध कराने हेतु एक निर्धारित प्रारूप नियत किया जाये ताकि वे इस निर्धारित प्रारूप पर राजस्व वसूली हेतु कृत कार्यवाही का विवरण दे सकें।

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से :

अन्य विषय क्रमांक : 01

प्राधिकरण द्वारा वित्तीय वर्ष 1994-95 हेतु शासन से निर्धारित लक्ष्य 100 दुर्बल आय वर्गीय भवनों के निर्माण के स्थान पर 104 दुर्बल आय वर्गीय भवनों के निर्माण विषयक प्रस्तुत संशोधित प्रस्ताव पर सर्व-सम्मत्ति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

अन्त में बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों का धन्यवाद करते हुए बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी ।

(हरिश्चन्द्र जोशी)
उपाध्यक्ष
म0दे0वि0प्रा0,दे0दून ।

(सुभाष कुमार)
मण्डलायुक्त
अध्यक्ष
म0दे0वि0प्रा0,दे0दून